

## उत्तर मध्य रेल

मण्डल कार्यालय

विद्युत परिचालन शाखा,आगरा

दिनांक:-03.11.2020

पत्र सं.आगरा/परिचालन/सेफ्टी ड्राईव/09

आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव-21/2020**विषय:- SPAD** की घटना की रोकथाम के सम्बंध में।**संदर्भ:-** (1) पत्र.सं.वि./लोको/एन.सी.आर./148/सेफ्टी ऑपरेशन दिनांक:- 02.11.2020.

(2) Letter no. Mech./740/Safety date:-05.10.2020

**घटना:-** दिनांक-14.09.2020 को पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ-गोरखपुर खंड के रोड साईड स्टेशन पर **SPAD** की घटना घटित हुई थी। गोरखपुर की दिशा में जा रही एक मालगाड़ी को, हमसफर एक्सप्रेस के प्रेसिडेन्स के लिये रोड साईड स्टेशन पर सुबह के लगभग 3:00 बजे रोका गया था तथा गोरखपुर की ओर जानेवाली हमसफर एक्सप्रेस के लिये सिगनल ऑफ किये गये थे।

उसी समय लखनऊ की तरफ जानेवाली एक मालगाड़ी जो कि उसी रोड साईड स्टेशन पर खड़ी थी, के लिये भी सिगनल ऑफ किये गये थे। लखनऊ की तरफ जाने वाली मालगाड़ी के गार्ड ने वॉकी-टॉकी के माध्यम से अपनी गाड़ी के लोको पायलट को सिगनल ऑफ होने के कारण गाड़ी को स्टार्ट करने हेतु कहा, परंतु वॉकी-टॉकी पर गोरखपुर की दिशा में जा रही मालगाड़ी के लोको पायलट ने यह समझा कि, यह उसकी गाड़ी का गार्ड उसे गाड़ी स्टार्ट करने को बोल रहा है। बगल वाली लाईन में हमसफर एक्सप्रेस थ्रू पास होने के लिये दिये गये सिगनल जो ऑफ था, को अपना सिगनल समझ लिया और गाड़ी चला दी, जिससे **SPAD** की घटना घटित हुई। अतः इस संदर्भ में आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव-21/2020 जारी की जा रही है। जिसके अंतर्गत सभी मुख्य लोको निरीक्षक पायदान निरीक्षण एवं लॉबी काउंसलिंग के दौरान लोको पायलटों एवं सहायक लोको पायलटों, लोको पायलट शंटिंग को काउंसिल करते समय निम्न बिंदुओं पर विशेष फोकस करें, ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

**इस SPAD की घटना के परिपेक्ष में परामर्श के बिंदु निम्न हैं।**

1. गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट, लोको पायलट शंटिंग अत्यधिक सजग एवं सतर्क रहे। SPAD रोकने हेतु उ.म.रे. द्वारा जारी 25 प्वाइंट्स का अनुपालन करें।
2. गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट एवं सहायक लोको पायलट अपने सिगनल को सुनिश्चित करते हुये सिगनल के आस्पेक्ट को ध्यानपूर्वक देखें।
3. प्रत्येक सिगनल को उसके आस्पेक्ट, सिगनल का नाम तथा स्टेशन के नाम के साथ, हाथ द्वारा सिगनल को इंगित करते हुये, प्रभावशाली ढंग से कॉल आउट करें।
4. ALP को LP की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी चाहिये, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि LP सतर्क नहीं है अथवा सिगनल आस्पेक्ट के अनुसार गाड़ी कंट्रोल नहीं कर रहा है, जिससे SPAD या दुर्घटना हो सकती है, तो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व का प्रयोग करें तथा TLC/PCOR को तुरंत अवगत कराये।
5. जब क्रू, गार्ड या ए.एस.एम. वॉकी-टॉकी के माध्यम से आपस में बात करें तो, जिस गाड़ी के लिये बात कर रहे हो उस गाड़ी का पूरा नाम बोलकर बात करें ताकि उपरोक्त पूर्वोत्तर रेलवे जैसी SPAD की घटना को रोका जा सके तथा LP/ALP को वॉकी-टॉकी पर किसी प्रकार का भ्रम न होने पाये।

6. पायदान निरीक्षण के दौरान विशेषतः रात्रि के समय (02:00 बजे से 06:00 बजे के बीच) सभी मुख्य लोको निरीक्षक गहनता से निरीक्षण करें तथा समस्त लोको पायलट/सहायक लोको पायलट/लोको पायलट शंटिंग को काउंसिल एवं उक्त संदर्भ में शत-प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें।

सभी मुख्य लोको निरीक्षक निम्न फार्मेट के अनुसार रिपोर्ट तैयार करें एवम इस आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव की अनुपालना रिपोर्ट दिनांक-18.11.2020 तक निर्धारित फार्मेट में **IPAMS** में भरना सुनिश्चित करें। मुख्य क्रयू नियंत्रक आगरा, मथुरा, नई दिल्ली अपने अधीन कार्यरत शत प्रतिशत कर्मचारियों का इस आपरेटिंग सेफ्टी ड्राईव को पढ़ना सुनिश्चित करें।

(आफताब अहमद)

वरि. मंडल विजली इंजी.(परि.)

उ.म.रे., आगरा

प्रति/-

- वरिष्ठ मं. वि. इंजी/ओपी/इलाहाबाद/झांसी/कोटा/दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वरिष्ठ मं. संरक्षा अधिकारी/आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वरिष्ठ मं. यौ. इंजी/ओ.एंड एफ./आगरा/इलाहाबाद/झांसी/दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- वरिष्ठ मं. यौ. इंजी./ जयपुर/ इज्जत नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मं.वि. इंजी/ओपी/नई दिल्ली, स.मं.वि.इंजी/ओपी/आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्रधानाचार्य/विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- एस.एस. ई.ट्रिपशेड नई दिल्ली/निजामुद्दीन उ.म.रे. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- CTLC, CPCOR, मुख्य क्रू नियंत्रक, आगरा कैंट, मथुरा, नई दिल्ली एवं समस्त मुख्य लोको निरीक्षक, आगरा मंडल।
- मंडल सचिव NCRMU/NCRES.